"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक ई 7-01/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, अपर कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 22-11-2010 से 6-12-2010 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 के राजपत्रित अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आनंद तिवारी, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को घरेलू कार्य से दिनांक 22-01-2011 से दिनांक 28-01-2011 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्रमांक-एफ /-47/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बीजापुर निवेश क्षेत्र, जिला बीजापुर का गठन करता है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

बीजापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मांझीगुडा एवं तुरनार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम तुरनार एवं बीजापुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बीजापुर एवं तैतालूर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम जैतालूर एवं ईटपाल की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक 4012/परि.वि./2010.—छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन जांच चौकी वर्तमान में अंबिकापुर, वाराणसी (राजमार्ग) पर स्थान वाड्रफनगर में स्थापित है. उसे अंबिकापुर से वाराणसी (राजमार्ग) पर ग्राम-धनवार, जिला-अंबिकापुर (सरगुजा) स्थित नवीन एकीकृत जांच चौकी में दिनांक 28-12-2010 से स्थानान्तरित किया गया है. परिवहन जांच चौकी का विवरण निम्न है :—

क्रमांक	मार्ग	परिवहन जांच चौकी का नाम
1.	अंबिकापुर-वाराणसी छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश (राजमार्ग)	धनवार

उक्त एकीकृत जांच चौकी में परिवहन विभाग के पदस्थ स्टाफ द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं मोटरयान कराधान अधिनियम तथा अन्य अधिनियम व नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जांच कार्य व करों की वसूली आदि का कार्य निष्पादित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक 4013/परि.वि./2011.—छत्तीसगढ़ राज्य में वाहनों की चेकिंग एवं कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी, महासमुंद एवं जशपुरनगर में परिवहन उड़न-दस्ता की स्थापना माह जनवरी-2011 से की जाती है. प्रत्येक उड़न-दस्ता में 01 परिवहन निरीक्षक, 01 परिवहन उप निरीक्षक, 01 प्रधान आरक्षक तथा 04 आरक्षक पदस्थ रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बेहरचुंवा	4.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बोकरदा जलाशय योजना के तहत डूब एवं नहर क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नवागांवकला	2.193	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग क्र. 3, ह. ता. वि. गृ., कोरबा पश्चिम.	हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	लोतलोता	0.892	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग क्र. 3, ह. ता. वि. गृ., कोरबा पश्चिम.	हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2011.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	मडुवामहुवा	2.430	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण संभाग क्र. 3, ह. ता. वि. गृ., कोरबा पश्चिम.	हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक 16/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	भदौरा	3.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल - जोगीडोंगरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक 17/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आन्दु	2.08.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल - जोगीडोंगरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पैण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 08/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मड़ई	7.58	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 09/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उड़ांगी	19.86	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 10/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुकदा	31.67	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 11/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुली	9.79	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	खम्हरिया	17.25	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनसिंया प. ह. नं. 10	40.658	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम कोतरा, जिला-रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशंन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिन्यिम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पटेलपाली प. ह. नं. 10	8.310	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम कोतरा, जिला-रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तरकेला प. ह. नं. 10	21.969	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम कोतरा, जिला-रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्रमांक 824/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली प.ह.नं. 16	212.252	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्रमांक 828/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डूमरपारा प.ह.नं. 16	40.655	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्रमांक 833/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डेरागढ़ प.ह.नं. 19	104.258	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र.-5 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	मोहभट्ठा प. ह. नं. 19	16.872	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर छ. ग.	मर्राकोनी वितरक उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारीं का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खपरी प. ह. नं. 71/16	394/1	0.41	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास योजना 2031 के आधार पर फेज-1 में 2011 तक आवासीय सेक्टर का निर्माण.
			250	1.39		
			3	0.06		
			410	0.25		
			77	0.30		
			360	0.67		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			361/1	0.31		
			362/1	0.23		
			363/2	0.05		
			363/3	0.08		
			364/2	0.32		
			257	0.06		
			264	0.05		
			145	0.26		
			21	0.46		
			429	0.06		
			414	0.39		
			42/1	0.10		
			397/1	0.43		
			42/3	0.11		
			397/3	0.43		
			399/2	0.50		
			42/4	0.10		
			138/4	0.21		
			199/4	0.09		
			202/4	0.14		
			262/4	0.05		
			253/4	0.06		
			241/4	0.12		
			220/2	0.05		
			397/4	0.43		
			42/5	0.10		
			117	0.85		
			210	0.08		
			19	0.02		
			400/432	0.03		
			416/2	0.41		
			54	0.01		
			57	0.02		
			61	0.02		
			70	0.10		
			110	0.03		
			111	0.03		
			112	0.03		
			20	0.30		
		योग	**45**	**10.20**		

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 08 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	619	0.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास कार्य आई.आई.आई.टी. हेतु.
			638	0.08		
			643	0.01		
			644	0.40		
			645	0.21		
			655	0.14		
			677	0.61		
			678	0.07		
			679	0.10		
			680	0.10		
		योग	10	1.74		

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 09 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रमचण्डी प. ह. नं. 72/15	105	0.100	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर अंतर्गत नहर रिएलाईमेंट हेतु.
			134/1	0.120		
			139	0.534		
			136/2	0.385		
			128/2, 128/3	0.036		
			137	0.070		
			134/2	0.108		
			111/1	0.021		
			128/1, 128/5, 128/6	0.002		
			136/1	0.085		
			85/6	0.405		
			135	0.080		
			76	0.008		
			77/3	0.010		
			83	0.008		
			84	0.090		
			104	0.244		
		योग	16	2.306		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-चमारगुड़ा, प. ह. नं. 16/34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.077
51/2	0.073
51/3, 51/4	0.174
51/5	0.085
57/2	0.109
62	0.182
63	0.085
74	0.065
75	0.312
318	0.036
327	0.065
76	0.275
77	0.008
156	0.283
186	0.324
187	0.012
191	0.142
206	0.008
208	0.344
255	0.065
209	0.105
235/6	0.190
235/7	0.275
235/8	0.040
236/4	0.138
241	0.053
242/1	0.053
242/2	0.061
244	0.085
245	0.170
246/1	0.045
247/2	0.012
246/2	0.045
247/1	0.053
249/2	0.057
251	0.182
253	0.081
312	0.121
313	0.008
317	0.089
320	0.040
319	0.073
323	0.008
324	0.081
325	0.138
237/5	0.275
योग 47	5.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चमारगुडा उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कोरबा
   (ख) तहसील-करतला
   (ग) नगर/ग्राम-रींवाबहार
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.63 एकड़

खसरा नम्बर.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
610/5	0.02
522	0.40
436	0.20
446/1	0.09
519	0.29
503/2	0.32
509	0.11
510	0.03
508	0.30
484	0.03
460	0.03
483	0.13
482	0.11
458	0.13
469	0.17
344	0.05
464, 465	0.37
468	0.09
322	0.14
467	0.06
473	0.22
323	0.32
326	0.08
328/1	0.02
329, 330	0.01
109/2, 116	0.11
110	0.02
332	0.01
249/2	0.05
252/1	0.29
251/4	0.18
248/2	0.07
247	0.07
101	0.04
108	0.22
104	0.17
52	0.05
53	0.18
99/1	0.36
103	0.04
100	0.05
योग	5.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिताखोल जलाशय योजना के तहत नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-बगबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.67 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
95/1	0.60
97	0.10
99/1, 100/1, 101	1.11
99/2, 100/2	0.53
99/3, 100/3	0.53
99/4	0.30
100/4	0.30
100/5	0.35
102	0.83
103/1	0.83
103/2	0.25
104/1, 104/2	0.84
106/1	0.38
106/2, 108	0.32
105	0.35
111, 114	0.07
115/1, 117	3.61
116	0.24
118	0.45
115/2	0.54
120/2	0.20
120/6	0.79
120/7	0.50
120/10	0.30
103/3	0.35
योग	14.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना किये जाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक/1574/07/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प. ह. नं. 22/31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
76	0.05
75/2	0.03
204	0.07
208	0.06
212	0.02
214	0.06
74	0.16
205	0.02
207	0.07
209	0.05
213	0.05
217	0.05
योग 12	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक/01/भू-अर्जन लि./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-तुमा, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	47	0.17
	96	0.10
	166	0.01
	724	0.02
	823	0.03
	755	0.03
	723	0.01
	126	0.05
	167	0.07
	168	0.06
	707	0.02
	169	0.12
	722	0.01
	1019	0.01
	223/2	0.05
	223/3	0.10
	690	0.01
	708	0.01
	688	0.01
	709	0.01
	687	0.01
	792	0.01
	741/2	0.01
	741/3	0.01
	740	0.01
	831	0.01
	856	0.01
	790	0.01
	794	0.02
	791	0.01
	795	0.02
	830	0.02
	859	0.01
	895	0.01
	900	0.01
	897	0.02
	738/3	0.01
	48/1	0.02
	48/2	0.12
	223/1	0.01
	224	0.01
	253	0.02
	252	0.02
	758	0.03
योग	44	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमा-केशतरा मार्ग निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक/2/अ-82/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मऊ, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
761/1	0.01
762	0.07
767	0.14
768	0.01
770/1	0.01
770/2	0.01
771/1	0.01
771/2	0.05
771/3	0.02
771/4	0.02
771/5	0.07
772/2	0.01
776	0.06
777	0.06
791	0.10
793/1	0.04
794	0.01
797	0.01
798/1	0.01
योग 19	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मऊ जलाशय नहर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक/8/अ-82/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-केशतरा, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399/1	0.10
471	0.02
601	0.05
603	0.10
602/1	0.02
योग 5	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमा-केशतरा मार्ग निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-स[illegible].

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक 19 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	382/5	0.10
	777	0.30
योग	2	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सीधी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेडे, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-53.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.062
9	2.650
11/1	0.545
15/1	0.940
11/2	0.460
13/2	0.080
15/2	0.940
13/3	0.121
12	1.500
17	0.650
25	0.760
44	0.170
14	0.970
13/1	0.279
18	0.400
20	1.260
31	0.560
39	0.280
21	1.930
22	1.450

(1)	(2)
27	0.550
33	0.510
45	0.450
28	0.610
40	0.350
29	0.610
34	0.700
46	0.260
83	0.210
30	0.580
35	0.640
36	0.380
37/2	0.490
48/3	1.086
48/6	0.420
36/2	0.270
48/2	0.732
48/5	0.360
36/2	0.820
48/7	0.380
48/8	0.380
37/1	0.290
38	1.650
48/4	0.320
48/1	0.872
42	2.890
43	3.410
47	2.380
49	1.250
52	1.390
53	0.120
51	1.616
55	0.720
56	2.000
57	0.210
69	0.680
72/1	1.200
72/3	1.280
72/2	1.260
72/4	0.050
87	0.401
74	0.530
75/2	1.120
75/1	0.490
76	0.400
योग 65	53.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-सरईटोला, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1199	0.408
126	1.120
1262/1	0.705
1262/2	0.705
1263	0.370
1351	0.320
1355	0.830
1373	0.270
1201	0.370
1267	0.250
1276	0.040
1284	0.984

(1)	(2)
1346	0.260
1363	0.740
1255	0.170
1245	0.240
1271/2	0.794
127/1	1.416
1272	0.290
1278	0.260
1287	0.200
1195	0.560
1249	0.008
1197	0.570
1274	0.140
1275	0.490
1348	0.180
1362	0.460
1246	0.530
1344	0.670
1340	0.560
1350	0.180
1341	1.060
1279	0.018
1290	0.100
1352	0.670
1354	0.330
1269	0.260
1357	1.460
1372	0.370
1252	0.104
1253	0.318
1353	3.490
1382	2.950
1254	0.175
1257	0.180
1285	0.600
1349	0.180
1347	0.190
1289	0.210
1342	1.280
1383	0.140
1356	0.280
1361	2.130
1389/1	0.502
1389/2	0.401
1389/4	0.121
1389/3	0.328
1389/5	0.324
1391	1.840
1921	0.410
1922	0.410
1204	0.396
1205/1	0.180
1251/2	0.355
1251/4	0.220
1205/3	0.065
1251/1	0.105
1279/2	0.018
1205/2	0.065
1251/3	0.260
1206	0.002
1202	0.820
1203	0.190
योग 74	38.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-चिकनीपानी, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.633 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.740
11	0.230
3	0.530
12	0.240
4	0.180
5	0.120
10	0.690
14	0.210
22	0.240
6	0.430
27	0.230
7	0.780
15	0.480
17	0.020
8	0.410
19	0.470
20	0.460
21	0.830
24	0.200
9	0.250
25	0.140
37	0.020
43	0.338
40	0.020
66	0.970
77/2	0.330
77/1	0.075
योग 27	9.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-बनगांव (बी), प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.220 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.004
403	0.152
405	0.040
406	0.096
409/1	0.012
410	0.304
413	0.336
433	0.386
437	0.032
415	0.180
430	0.336
225	0.096
443	0.200
495	0.138
231	0.064
232	0.068
229	0.068
246	0.296
220	0.096
184/1	0.316
योग 20	3.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के एल. बी. सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सरईटोला, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.868 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1034	0.480
1279/2	0.400
996/2	0.004
996/1	0.234
1208	0.136
1210	0.090
969/2	0.026
1251/3	0.260
1205/2	0.058
1048	0.204
1139	0.184
986	0.198
1204	0.008
1207	0.110
1212	0.280
1008	0.560
1098	0.184
1174	0.004
1188	0.030
1197	1.430
973	0.008
1183/3	0.028
1211/1	0.040
1035/1	0.250
1025/3	0.108
1245	0.248
1211/2	0.044
1010	0.001
1035/2	0.120
966	0.276
984	0.296
1181	0.348
1206	0.240
1246	1.120
1247	0.610
1271/2	0.052
983	0.004
954	0.040
1280	0.188
1243	0.062
1279/1	0.280
1251/5	0.120
1251/7	0.040
1004	0.012
1244	0.150
1272	0.088
1184	0.170
997	0.276
1209	0.104
1213/1	0.008
1195	0.730
1249	0.930
1183/1	0.024
1211/3	0.044
1205/1	0.102
1251/2	0.390
1251/4	0.220
969/1	0.027
1205/3	0.065
1251/1	0.210
1217	0.236
1248	0.920
1202	0.140
1006	0.058
1015	0.132
998	0.008
972	0.032
1189	0.255

(1)	(2)
1186	0.084
योग 69	14.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के एल. बी. सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जमरगी (बी), प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.561 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
31	0.192
36/1	0.196
133/2	0.124
523/1	0.172
133/1	0.084
246	0.062
508	0.136
147	0.091
285	[illegible]
286	[illegible]
475	[illegible]
471	[illegible]
545/1	[illegible]
454/2	0.144
277	0.156
129	0.112
498	0.008
499	0.076
34/2	0.120
506	0.192
69/1	0.152
525	0.044
486	0.308
497	0.156
502	0.164
504	0.144
505	0.008
509	0.036
529	0.152
490	0.008
547	0.192
69/2	0.144
70	0.144
240	0.288
245	0.112
146/2	0.074
146/1	0.192
287	0.008
472	0.004
518	0.104
521	0.240
67	0.182
68	0.048
489	0.116
242	0.096
533	0.280
546	0.162
278	0.012
239	0.004
524	0.192
539	0.308
243/5	0.004
32	0.104
238	0.432
127	0.045
128	[illegible]
125	[illegible]
492	[illegible]
[illegible]	[illegible]

	(1)	(2)
	119/2	0.064
	251	0.144
	64/2	0.384
	64/1	0.096
योग	64	8.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के आर. बी. सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सराईटोला, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1049/1	0.156
	1088/1	0.036
	1049/2	0.064
	1082/1	0.112
	1082/2	0.036
	1049/3	0.060
	1082/2	0.092
	1088/3	0.036
	1079/1	0.035
	1079/2	0.035
	1079/3	0.035
	1079/4	0.035
	1085	0.108
	1127	0.052
	1128	0.124
योग	15	1.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के आर. बी. सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक/01/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2011.—मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत पिपरिया के पत्र क्रमांक 236/मु.न.अ./न.पं./2010 पिपरिया दिनांक 30-12-2010 के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार वैष्णव आत्मज श्री सरजू वैष्णव पार्षद वार्ड क्र. 01 की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर होने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 28-12-2010 को दिया गया इस्तीफा नगरपालिका अधिनियम की धारा 40 के खंड (1) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.

आर. संगीता,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्रमांक क/खलि/तीन-1/09/17.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खौना	31	तिल्दा	303/1 (शासकीय घास भूमि)	5.00 एकड़	श्रीमती दुर्गा बाई अध्यक्ष जय दुर्गा महिला कामगार सहकारी समिति खौना को चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 18-11-2005 से 17-11-2010 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक/38/अ.व.लि./2010.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के निय.. एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 3-2/1999/1/4/दिनांक 30-3-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सोनमणि बोरा कलेक्टर बिलासपुर वर्ष 2011 हेतु बिलासपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

अनुक्रमांक	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन
1.	हरेली	30 जुलाई 2011	शनिवार
2.	सर्व पितृमोक्ष (अमावस्या)	27 सितम्बर 2011	मंगलवार
3.	दशहरा (महाअष्टमी)	4 अक्टूबर 2011	मंगलवार

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th January 2011

No. 342/L.G./2011/II-2-12/2009.—Shri A. K. Goyal, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 06 days from 20-01-2011 to 25-01-2011 and permission to suffix holiday on 26-01-2011 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.